(iv) Government has initiated action for framing rules under the Environment Protection Act, 1985 to regulate production and consumption of Ozone Depleting Substances.

Launching of schemes on World Ozone Day

*tl37. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJI RAO SHINDE:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether on the occasion of World Ozone Day, any schemes were launched to curb emission of Ozone depleting gases from various processing, including plying of vehicles in metropolises and other areas;

(b) if so, the details thereof;

(c) the extent of pollution caused by effluent from vehicles, factories, mills and various plants in different metropolitan cities;

(d) whether any assessment on adoption of eco-friendly technologies in industry was made by Government on the occasion; ana

(e) if so, the details thereof?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क), (ख), (घ) और (ङ): जी नहीं तथापि अन्तर्राष्ट्रीय ओज़ोन दिवस व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया गया था।

(ग) प्रमुख शहरों में प्रदूषण फैलने का कारण वाहनों की बढ़ती संख्या, औद्योगिक उत्पादन तथा प्राकृतिक धूल भरी स्थितियों का होना है। महानगरीय शहरों में वाहनों से कुल वायु प्रदूषण का लगभग 60 प्रतिशत फैलता है। दस महानगरीय शहरों में मानीटर किए गए परिवेशी वायु गुणवता आंकड़ों से पता चलता हैं कि दिल्ली, कलकत्ता तथा मुंम्बई में निलम्बित धूलकणों के स्तर निर्धारित सीमा से अधिक है परन्तु सल्फरडाईआक्साइड और नाइट्रोजन के आक्साइडों के स्तर इनकी प्रारम्भिक सीमाओं से कम है।

श्री ओ॰पी॰ कोहली: सभापति महोदय, एयरोसोल, फोम, रेफ्रीजरेशन, साल्वेंट और प्रोडक्शन सेक्टर के अंतर्गत ऐसे बहुत से उद्योग है जो उन पदार्थों और रसायनों का प्रयोग करते हैं जिनमें ओजोन का श्रय होता है। ओजोन लेयर के क्षतिग्रस्त होने से चमड़ी के कैंसर और कैटेरेक्ट जैसे भयंकर रोगों के होने का खतरा बढ़ता जा रहा है इसलिए ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसेज़ को फेज़ आउट करने और इन उद्योगों की उत्पादन टैक्नोलोजी तथा उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन करना जरूरी हो गया है। इस संदर्भ में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि देश में ऐसे कुल कितने उद्योग हैं जो ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसेज़ का प्रयोग कर रहे हैं? इन उद्योगों की ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसेज़ को फेज़ आउट करने की परियोजनाओं पर कुल कितना खर्च आने का अनुमान है और यह कार्य कब तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है?

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद। श्रीमान, जैसे कि हमें माननीय सदस्य ने कहा है हमारी 191 की रिपोर्ट के मुताबिक ओ॰डी॰एस॰ की खपत 10 हजार 307 मीट्रिक टन है। जहां तक पदार्थों के खपत करने वाले आंकड़े का विवरण मांगा है वह फोम में 235 इंडस्ट्रीज़ हैं, रेफ्रीजरेशन में 30 हैं, साल्वेंट में 14 हैं, फायर एक्सटिंगुशर में 200 फैक्ट्रियां हैं, सी॰एफ॰सी॰ के उत्पादन करने की इकाइयां 5 हैं, छोटी-छोटी ईकाइयां एस॰एस॰आई॰ की करीब 6 हजार हैं, इनमें टोटल खर्चे के बारे में मैं जानकारी सदस्य महोदय को दे देना चाहता हूं इसकी कास्ट है आरासोल में 13 मिलियन अमेरिकन डॉलर हैं, फोम्स में 150 मिलियन डॉलर है।

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद (क्रमागत) – हैलांस 36 मिलियन डॉलर्स, घरेलु रेफ्रीजरेशन 295 मिलियन डॉलर्स, कई प्रकार के रेफ्रीजरेशन एंड ए॰सी॰ 120 मिलियन डॉलर्स, साॅल्वेंट्स 104 मिलियन डॉलर्स, ट्रेड इन ऑफ रेफ्रीजरेटर एंड अदर एप्लायंसेस 325 मिलियन डॉलर्स, रिकवरी एंड रिसाइक्लिंग 50 मिलियन डॉलर्स, रासायनिक उत्पादन 466 मिलियन डॉलर्स, स्माल स्केल एंड इनफार्मल सैक्टर: अदर आर॰ एंड ए॰सी॰ 105 मिलियन डॉलर्सज फोम्स (नॉन रेफ्रीजरेटर) 84 मिलियन डॉलर्स, एरोसोल्स (फिलर्स ओन्ली) 21 मिलियन डॉलर्स, साॅल्वेंट्स 174 मिलियन डॉलर्स, फायर फाइटिंग 6 मिलिनय डॉलर्स, सब-टोटल 390 मिलियन डॉलर्स, प्रशासनिक लागत 15 मिलियन डॉलर्स और कुल 1964 मिलियन डॉलर्स खर्च आएगा।

SHRI AJIT P.K. JOGI: The reply is quite elaborate, Sir. We are satisfied with the reply.

श्री ओ॰ पी॰ कोहली: सभापति महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या ओज़ोन का क्षय करने वाले पदार्थों और रसायनों का इस्तेमाल करने वाले नए उद्योगों की स्थापना पर रोक लगाने के लिए सरकार कोई

†The question was takn up alongwith question No. 124 because of the similar subject.

विधेयक लाने का विचार रखती है? यदि हां, तो यह विधेयक कब लाए जाने का प्रस्ताव है और सरकार ओज़ोन के क्षय को रोकने के लिए उद्योगों पर किस-किस प्रकार का प्रतिबंध लगाने की बात सोच रही है?

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद: एनवॉयरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक आवश्यक नियम बनाने की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। इस के लिए ड्राफ्ट नियम तैयार कर लिए गए हैं। विधि मंत्रालय से तथा अन्य मंत्रालयों से भी परामर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है और यथाशीघ्र आवश्यक नियम बनाए जाएंगे जिन के अनुसार ओ॰डी॰एस॰ रसायनों के इंपोर्ट पर रोक, जैसे - सी॰टी॰एस॰ कार्बन टैट्राक्लोराइड के इंपोर्ट का पूरी तरह सें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ओ॰डी॰एस॰ रसायनों का देश में अंदर उत्पादन करने वाली इकाइयों के उत्पादन में वृद्धि पर रोक लगा दी जाएगी। ओ॰डी॰सी॰ पदार्थों के प्रयोग से बनी वस्तुओं जैसे - सीजेटर सी॰टी॰आई॰एस॰ को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ओ॰डी॰एस॰ पदार्थों का प्रयोग करने वाली नई इकाइयों की स्थापना पर रोक लगा दी जाएगी।

MR. CHAIRMAN: Mr. Shinde. Only one supplementary, please.

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: सर, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ा अच्छा रिप्लाय दिया और बहुत डिटेल रिप्लाय दिया। सभापति जी, इस रिप्लाय में कहा गया है कि काफी वर्कशाप आप ने इस के लिए तय किए हैं और काफी वर्कशाप आप ने मोटीवेट किए हैं। आप ने रिप्लाय में कहा है कि—

"Workshops have been organized to motivate industries to prepare and submit projects;"

तो मैं पूछना चाहूंगा कि आप जब यह मोटीवेट करते हैं तो अभी तक देश में कितले वर्कशॉप हो गए हैं और किसी वर्कशॉप का आप को अगर बेनेफिट हो गया है तो उस के कितने प्रोजेक्ट्स आप के पास आ गए हैं?

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद: श्रीमान् जी, जो प्रोजेक्ट हैं, उसके बारे में हमने जवाब में ही कह दिया है कि 106 प्रोजेक्ट को सैक्सन दिया है, 14 प्रोजेक्ट जो हैं वह एग्जीक्यूटिव कमेटी में पेंडिंग पड़े हुए हैं, वह मेट्रोनिया प्रोटाकोल में पड़े हुए हैं, जो सैक्सन हो जाएंगे। यहां से रिपोर्ट होकर के चला गया है। चार प्रोजेक्ट ही लोगों के यहां पेंडिंग हैं, जिनमें तीन प्रोजेक्ट दो महीना पहले ही आए हैं. जिन पर विचार हो रहा है और एक प्रोजेक्ट एक साल पहले आया था। इसमें वित्तीय कुछ खामियां थी, जिसको हम लोगों ने फिर से रिवाइज भेजने के लिए कहा था, जो एक महीना पहले ही यहां आ गया है। तो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अच्छी तरह से आ रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह है और लोग ला रहे हैं।

DR. BIPLAB DASGUPTA: Sir, I have a very important question to put to the Minister. But I am not sure whether I will get a reply. I am putting the question for the benefit of everyone present here. On the issue of ozone layer, usually, two types of criticism are levelled against India. I am not sure whether the Government of India is aware of these criticisms. One is about the Montreal Convention. In 1980, India was not a signatory to the Montreal Convention. So, a question is put as to why India did not sign it. What is the reaction of the Government of India on this issue? Is the Government of India prepared to sign the Montreal Convention? If not, why not? The second question is much more important. This criticism is just to counter our criticism of the West. The criticism is that methane gas which is released by paddy fields and by wet lands also contributes to the depletion of the ozone layer. This criticism is totally unfounded, I should say, because paddy is essential for the survival of the people. In any case, I would like to have the reaction of the Government on this very important issue. I am not sure whether I will get the reaction.

कैप्टन जय नारायण निषाद : श्रीमान् जी, इसमें यह है कि हम लोगों ने वर्ष 1992 में साइन कर दिया है। माननीय सदस्य यह जान लें, हम लोगों ने साइन किया है। यहां तक धान वाली बात है, उस पर डिसकशन चल रहा है। उस पर अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।

SHRI V.P. DURAISAMY: Because of non-approval, many projects are pending. In Tamil Nadu, seven power projects are pending before the Forest Department. Will the Forest Department impose conditions so as to maintain the forest land before giving the approval? The Electricity Department is ready to maintain the forest land, if this department gives the approval. Is the Department thinking of imposing conditions to maintain forest lands?

SHRI R.K. KUMAR: This question has got nothing to do with the ozone layer.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

कृषि उत्पादों की खेती के लिए उपयोग में लायी जाने वाली भूमि

*121 श्री राम जेठमलानी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विभिन्न कृषि उत्पादों की खेती के लिए उपयोग में लायी जाने वाली भूमि की मात्रा में भारी परिवर्तन हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 और 1994-95 के दौरान गेहूं, धान, तिलहन, दलहन, कपास, गन्ना, फल-सब्जियों की खेती के लिए कितनी-कितनी भूमि को उपयोग में लाया गया था?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) तथा (ख) 1990-91 की तुलना में 1994-95 के दौरान चावल, मोटे अनाजों और दलहनों के तहत आने वाले क्षेत्रों में कमी आई है जबकि गेहूं के अलावा अन्य गैर-खाद्यान्न फसलों, जैसे–तिलहन, कपास, गन्ना, फलों और सब्जियों के तहत आने वाले क्षेत्र में वृद्धि हुई है। 1990-91 तथा 1994-95 के दौरान इन फसलों के तहत आने वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

1990-91 और 1994-95 के दौरान चुनिन्दा फसलों के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र (हजार हैक्टेयर में)— अखिल भारत।

फसल	1990-91	1994-95
गेहूं	24167	25639
चावल	42687	42244
मोटे अनाज	36319	32499
दलहन	24662	23166
तिलहन	24148	25260
कपास	7440	7925
गन्ना	3686	3815
फल	2646	2989 (अनन्तिम)
सब्जियां	4046	4361 (अनन्तिम)

Non-Import of Urea by NFL and PPCL

*125. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether any investigation has been undertaken to find out the reasons as to why NFL and PPCL were unable to import any urea during 1994-95;

(b) whether standard bid conditions were changed and suspect offers were received in 1994-95 for import of urea;

(c) whether the above was brought to the notice by the canalising agency MMTC to NFL and PPCL; and

(d) if so, the preventive action taken by Government to streamline the bidding process?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SIS RAM OLA): (a) In order to avoid undesirable competition between MMTC Ltd. and the new importing agencies inducted during Rabi 1994-95, viz. National Fertilizers Limited (NFL) and Pyrites, Phosphates and Chemicals Limited (PPCL), the latter were directed not to procure urea from MMTC's traditional suppliers in the main sourcing territories of the Arabian Gulf and the Commonwealth of Independent States (CIS). NFL and PPCL could not deliver any quantity of urea during 1994-95 as the non-traditional suppliers, on whom they and placed orders as a consequences of this restriction, could not perform.

(b) and (d) While the tender conditions adopted by NFL and PPCL largely followed the standard terms of MMTC, there were some variations essentially in respect of Earnest Money Deposit (EMD) conditons of NFL and PPCL, which were subject to the sourcing restrictions referred to above. Subsequently, similar EMD conditions were adopted for some time by MMTC as well. After the removal of the restrictions in regard to the sourcing of urea imports, the procedures for import of ureau during 1995-96 were standardised for all canalising agencies. These procedures have been reviewed from time to time.